ांक 4965 /आयु0क0उत्तरा0/वा0क0/प्र0–अनु0/2012–13/दे0दून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(प्रवर्तन–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक 26 फरवरी 2013

–:: परिपत्र ::–

मुख्यालय से जारी परिपत्र संख्या विधि–29/(04–05)परिपत्र/2005–2006/1074/विधि–अनुभाग, दिनांक 08 जुलाई, 2005 एवं परिपत्र पत्रांक/विधि–अनुभाग/3945/आयु0क0 उत्तरां0/2005 वाणिज्य कर, दिनांक 04 फरवरी, 2006 द्वारा प्रदेश में स्थित कुछ जांच चौकियों के ऐसे स्थान पर स्थित होने, कि इनके एवं प्रदेश की सीमा के बीच उद्योग एवं व्यापार स्थापित होने एवं विक्रेता के व्यापार स्थल से क्रेता व्यापारी के मध्य स्थान में अन्य प्रदेश (उत्तर प्रदेश) राज्य आ जाने के कारण ओ0सी0 स्टैम्प की व्यवस्था की गयी थी, जिसके अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया था कि व्यापारी को दो प्रतियों में ओ0सी0 स्टैम्प जारी किया जायेगा तथा उपरोक्त प्रकार के क्षेत्र से माल का परिवहन किये जाने हेतु जारी बिल/कैश मैमो/चालान की एक प्रति में ओ0सी0 स्टैम्प की एक प्रति व्यापारी चस्पा करेगा, जिसे जांच चौकी पर प्रस्तुत किये जाने पर जांच चौकी अधिकारी द्वारा ओ0सी0 स्टैम्प चस्पा बिल/कैश मैमो/चालान की प्रति रख लेंगे तथा बिल/कैश मैमो/चालान की दूसरी प्रति पर जिसमें ओ0सी0 स्टैम्प न लगा हो उस पर ओ0सी0 स्टैम्प का पूर्ण क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे तथा उस पर मोहर एवं दिनांकित हस्ताक्षर अंकित करते हुए व्यापारी/वाहन चालक को दे दिया जायेगा। व्यापारी ओ0सी0 स्टैम्प की प्रति अपने अभिलेखों पर सुरक्षित रखेगा तथा जांच चौकी अधिकारी ओ0सी0 स्टैम्प वाले बिल को आयात घोषणा पत्र की भांति पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर–निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करेगा।

दिनांक 01–03–2013 से जांच चौकियों की समाप्ति के उपरान्त भी ओ0सी0 स्टैम्प निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर–निर्धारण कार्यालय से जारी किये जाते रहेंगे। विक्रेता व्यापारी पूर्व की भांति उपरोक्त प्रकार के क्षेत्र से परिवहन करते समय दो प्रतियों में बिल/कैश मैमो/चालान लेकर परिवहन करेगा जिसमें से एक बिल/कैश मैमो/चालान पर पूर्व की भांति ओ0सी0 स्टैम्प को चस्पा करेगा। यदि माल के परिवहन के समय सचलदल अधिकारी द्वारा इस प्रकार के वाहनों की जांच की जाती है तो वह बिल/कैश मैमो/चालान जिस पर ओ0सी0 स्टैम्प चस्पा की गयी हो को रोक लेगा तथा बिल की दूसरी प्रति पर ओ0सी0 स्टैम्प का पूर्ण नम्बर अंकित करते हुए उस पर अपनी मोहर एवं दिनांकित हस्ताक्षर अंकित करते हुए व्यापारी/वाहन चालक को देगा। सचलदल अधिकारी रोके गये बिल/कैश मैमो/चालान जिस पर ओ0सी0 स्टैम्प चस्पा की गयी है, को अन्य बिलों के साथ सम्बन्धित कर–निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा कर–निर्धारण कार्यालय उन बिलों को संकलित करते हुए सम्बन्धित कर–निर्धारण पत्रावली पर दर्ज करते हुए पत्रावलित करेंगे। उपरोक्त प्रकार के मामलों में जिन बिलों को सचलदल अधिकारी द्वारा जांच न किया गया हो उन्हें सम्बन्धित व्यापारी को कार्यालय में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(सौजन्या)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

क्रमशः पेज–2

पृ0प0सं0 4965 / दिनांक उक्त

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस इन्द्रनगर, देहरादून।

3– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5– एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून / कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर।

6– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने क्षेत्र के अधिकारियों / बार एसोसियेसन / उद्योग एवं व्यापारी संगठनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / प्र0) वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार / कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।

9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।

10– श्री रोशन लाल, डि0कमि0(क0नि0)–3, देहरादून / वैब ऑफिसर को वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

11– डिप्टी कमिश्नर, (उच्च न्याय0कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

12– मुख्यालय के संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति स्कैन करके उद्योग, व्यापार एवं बार के प्रतिनिधियों को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

13– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।

14– इन्टावेट ईन्फो प्रा0लि0–4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर–13 आर0 सिंधुआ मार्ग, मुम्बई–400001।

15– नेशनल लॉ हाउस, बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद।

16– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेंट हाउस–15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद।

17– स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233, शास्त्री नगर, गाजियाबाद–201002।

18– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।

19– दी होलसेल डीलर्स एसो0, 14 आढ़त बाजार, देहरादून।

20– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसो0, 222 / 5 गाँधी ग्राम, देहरादून।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।